बिनतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/6162/2006/धनपत** **मुंशी व अन्य बनाम धनपत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री पूनम माथुर, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—02.04.2026

1— यह निगरानी अन्तर्गत धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा अपील संख्या 162/2005 में पारित निर्णय दिनांक 08—08—2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि हुसैन की अन्य आराजीयात का नामांतरकरण प्रार्थीगण के पिता के नाम स्वीकृत किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण द्वारा सहमति दी गयी है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त नामांतरकरण संख्या 960 को चुनौती दी है, जबकि एक बार सहमति देने के पश्चात् अप्रार्थीगण को चुनौती देने का कतई अधिकार नहीं है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर के विरूद्ध मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया था इसके बावजूद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर ने अपने नैतिक एवं कानूनी दायित्वों के विपरीत जाकर प्रकरण को निर्णित कर तथा प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर महत्वपूर्ण कानूनी भूल की है। न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि मुंतकिली प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि अपीलाण्ट को कई अवसर दिये गये थे। यहां यह गौरतलब है कि किसी न्यायालय के विरूद्ध मुंतकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उस न्यायालय को प्रकरण का निर्णय नहीं करना चाहिए मुंतकिली प्रार्थना पत्र में स्थगन आदेश प्राप्त नहीं हुआ हो तो। उक्त बिन्दु पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित करने में त्रुटि कारित की है। न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पक्षकारान के बीच सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन है एवं इसी आधार पर प्रार्थीगण की अपील निरस्त कर दी गयी जबकि न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने इस बिन्दु पर गौर नहीं किया कि पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन होने पर नामांतरकरण को बहाल रखते हुए निर्णय करना चाहिए। अप्रार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी को आवंटन होना बताया है। ग्राम भुआपुर गढी की हुसैन की करीब 33 बीघा भूमि नामांतरकरण संख्या 60 चाहत के नाम स्वीकृत किया गया जिसमें अप्रार्थीगण ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये है। उक्त बिन्दु पर गौर न कर अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रार्थीगण के विरूद्ध निर्णय पारित कर त्रुटि कारित की है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08—08—2006 एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09—03—2005 निरस्त फरमाये जाकर ग्राम पंचायत डाबक द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 960 दिनांक 20—02—2004 बहाल रखा जावे।

4— पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से

बिनतारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एलआर/6162/2006/धनपत** **मुंशी व अन्य बनाम धनपत व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पत्रावली पर की गयी एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अनिगराकारगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर जिला भरतपुर के समक्ष अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत नामांतरकरण संख्या 960 दिनांक 20–02–2004 के विरूद्ध पेश की। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर जिला भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 09–03–2005 के द्वारा अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामांतरकरण संख्या 960 दिनांक 20–02–2004 को निरस्त कर दिया। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–03–2005 से व्यथित होकर निगराकारगण ने अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर कैम्प भरतपुर के समक्ष द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 08–08–2006 के द्वारा द्वितीय अपील को खारिज किये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायीय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 08–08–2006 के विरूद्ध निगराकारगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रकरण में विचाराधीन वाद में स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ था बावजूद उसके ग्राम पंचायत डाबक द्वारा नामांतरकरण दर्ज कर दिया गया जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त नामांतरकरण संख्या 960 दिनांक 20–02–2004 को विधिसम्मत रूप से निरस्त किया है। इसके अलावा द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने निगराकार द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि पक्षकारान के मध्य वाद विचाराधीन है जिसमें स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना है। नामांतरकरण की कार्यवाही फिस्कल प्रोसीडिंग होती है जिससे स्वत्व अधिकारों का निर्धारण नहीं होता है। उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निगराकारगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

5– परिणामतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08–08–2006 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य